भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1780

उत्तर देने की तारीख- 13/02/2023

अनुसूचित जातियों पर खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि का प्रभाव

1780. श्री सुखवीर सिंह जौनापुरिया:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि ने देश में अनुसूचित जाति के लोगों को प्रभावित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुसूचित जातियों को खाद्य मुद्रास्फीति के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्रीमती रेणुका सिंह सरूता)

(क) से (घ) : यद्यपि अनुसूचित जाति को प्रभावित करने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि का प्रश्न सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय और उपभोक्ता मामला मंत्रालय से संबंधित है, लेकिन चूंकि यह इस मंत्रालय को सौंपा गया है और जनजातीय समुदायों को भी प्रभावित करता है, यह अनुरोध किया जाता है कि सरकार खाद्य पदार्थों की कीमत में वृद्धि के मुद्दे पर विचार कर रही है। मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर सरकार घिरी हुई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग ने 23.12.2022 को राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1998 के उत्तर में और 7 दिसंबर 2022 को लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर में पहले ही संसद को सूचित कर दिया है कि सरकार अत्यधिक अनुदानित दर पर लाभार्थियों के लिए एनएफएसए, 2013 के तहत प्रमुख अनाज, अर्थात् गेहूं और चावल वितरित करके गरीब और कमजोर परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं में सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों ने वर्ष 2024 तक चरणबद्ध तरीके से लगातार फोर्टीफाइड चावल की आपूर्ति को मंजूरी दी है। कोविड के कारण हुए संकट को कम करने के उद्देश्य से, सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत अप्रैल, 2020 से एनएफएसए आवंटन के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम की दर पर मुफ्त खाद्यान्न वितरित कर रही है।

इसके अलावा, सरकार घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय करती है। अन्य बातों के साथ-साथ इन उपायों में कीमतों

को कम करने के लिए बफर से रिलीज, स्टॉक सीमा लागू करने, जमाखोरी को रोकने के लिए संस्थाओं द्वारा घोषित स्टॉक की निगरानी के साथ-साथ आयात शुल्क के युक्तिकरण, आयात कोटा में बदलाव वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध आदि जैसे व्यापार नीति के साधनों में आवश्यक बदलाव शामिल हैं।

देश की समग्र खाद्य सुरक्षा और खाद्यान्नों की संतुलित कीमतों के प्रबंधन के लिए सरकार ने भारतीय ड्यूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए 13 मई 2022 को गेहूं की निर्यात नीति को मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में संशोधित किया और 12 जुलाई, 2022 से गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया। आटा (गेहूं) का निर्यात गेहूं के निर्यात संबंधी अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की सिफारिश के विषयाधीन है। इसके अलावा, टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और 9 सितंबर, 2022 से उसना (सेला) चावल को छोड़कर गैर-बासमती चावल पर 20% निर्यात शुल्क लगाया गया है।

घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और दालों की कीमतों को संतुलित करने के लिए, तूर और उड़द के आयात को 31.03.2023 तक 'मुक्त श्रेणी' के तहत रखा गया है और 27.07.2021 से मसूर पर मूल आयात शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, तथा 13.02.2022 से 31.03.2023 तक मसूर पर कृषि उपकर का आयात शून्य हो गया। तूर के संबंध में जमाखोरी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए सरकार ने 12 अगस्त, 2022 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3(2)(एच) और 3(2)(i) के तहत और स्टॉक की निगरानी तथा सत्यापन के लिए तूर के स्टॉकहोल्डर्स द्वारा स्टॉक प्रकटीकरण को लागू करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को एक निर्देश जारी किया।

प्याज की कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार ने चालू वर्ष (2022-23) में मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) बफर स्टॉक के लिए रिकॉर्ड 2.51 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीद की। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख खपत केंद्रों को स्टॉक का लक्षित निपटान सितंबर, 2022 से शुरू हो गया है। खुदरा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए बाजार निपटान के अलावा, राज्यों और सरकारी/सहकारी खुदरा एजेंसियों को 8 रुपये/ किलो की रियायती दर पर प्याज की पेशकश की गई है। 30.11.2022 तक कुल 1.53 लाख मीट्रिक टन प्याज बफर से जारी की जा चुका है।

खाद्य तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क 2.5% से घटाकर शून्य कर दिया और इन तेलों पर कृषि उपकर को घटाकर 5% कर दिया गया है। रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क 32.5% की पिछली दर से घटाकर 17.5% कर दिया गया है और रिफाइंड पाम तेल पर मूल शुल्क 17.5% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है। सरकार ने 31.12.2022 तक की अवधि के लिए रिफाइंड पाम ऑयल के मुक्त आयात को भी बढ़ा दिया है। इनके अलावा, सरकार ने खाद्य तेलों और तिलहन पर 31 दिसंबर 2022 तक की अवधि के लिए स्टॉक सीमा लगा दी है। इसके बाद, वैश्विक खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट के बीच आपूर्ति श्रृंखला को निर्बाध बनाने के लिए सरकार ने 2 नवंबर 2022 से खाद्य तेल कंपनियों की बड़ी श्रृंखला के खुदरा और थोक विक्रेताओं को स्टॉक सीमा आदेश से छूट दी। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए शून्य आयात शुल्क और शून्य कृषि उपकर पर 20 एलएमटी कच्चे सोयाबीन तेल और 20 एलएमटी कच्चे सूरजमुखी तेल के आयात के लिए टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) के आवंटन के लिए अधिसूचना भी जारी की है।

*****